

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—43/2019 (2019/00127) वादपत्र

अनवान

1. देवीलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोगालाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुरेशचन्द्र पिता लेहरू जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पिता हीरा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. विजयराम पिता हीरा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. अम्बालाल पिता हीरा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. किशोर पिता हीरा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. खेमा पिता बरदा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर मृत्यु होने से नाम डिलिट
7. लोभचन्द्र पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. किशनलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. दीपा पिता चेना जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिये ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारुख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक:—13.10.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का टूगंच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 307 रकबा 0.74 है0, आराजी संख्या 308 रकबा 0.63 है0, आराजी संख्या 309 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 310 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 311 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 312 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 380/317 रकबा 0.91 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.82 है0 भूमि खाता संख्या 20 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 1/9 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 तक 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से

तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे वादी वाद पत्र की कलम नं० 1 में अंकित आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्से का कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जाने का निवेदन किया।


प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.07.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 5 व 7 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 6 फोट हो गये जिसके वारीस रेकार्ड पर होने से उनका नाम डिलिट किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 10, 11 फोरमल पक्षकार है जिससे वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा उपस्थित होकर वाद में अपना हिस्सा भी अलग कराने के निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभपक्ष सुनते हुए ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का टूगंच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 307 रकबा 0.74 है०, आराजी संख्या 308 रकबा 0.63 है०, आराजी संख्या 309 रकबा 0.49 है०, आराजी संख्या 310 रकबा 0.37 है०, आराजी संख्या 311 रकबा 0.43 है०, आराजी संख्या 312 रकबा 0.25 है०, आराजी संख्या 380/317 रकबा 0.91 है० कुल किता. 7 कुल रकबा 3.82 है० भूमि में वादी का 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व 2 से 5 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/72 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.03.2022 को जारी की गई थी

डिक्री की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 29.09.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के



हल्का आबादी में खाता संख्या 58 में प्रस्तावित आराजी संख्या 311/1 रकबा 0.07 है०,

भूमि देवीलाल पिता हजारी जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 380/317/3 रकबा 0.36 है0 भूमि छोगालाल पिता हजारी जाट सा.देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा एवं आराजी संख्या 311/2 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 312 रकबा 0.25 है0, बाराजी संख्या 310/2 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 380/317/1 रकबा 0.34 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि सुरेशचन्द्र पिता लेहरू जाट सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा, व आराजी संख्या 308/2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 309 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 310/1 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि दीपा पिता चेना जाट सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा एवं आराजी संख्या 307 रकबा 0.74 है0, आराजी संख्या 308/1 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि अम्बालाल किशोर रामा विजयराम पिता हीरा 1/2 खेमा पिता बरदा 1/2 जाट सा.देह खातेदार एवं आराजी संख्या 380/317/2 रकबा 0.21 है0 भूमि लोभचन्द पिता हजारी 16/21 किसनलाल पिता हजारी 5/21 जाट सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला लोभचन्द्र

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:-श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:-43/2019 (2019/00127) वादपत्र

अनवान

1. देवीलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोगालाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुरेशचन्द्र पिता लेहरू जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पिता हीरा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. विजयराम पिता हीरा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. अम्बालाल पिता हीरा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. किशोर पिता हीरा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. खेमा पिता बरदा जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर मृत्यु होने से नाम डिलिट
7. लोभचन्द पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. किशनलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. दीपा पिता चेना जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिये ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 58 में प्रस्तावित आराजी संख्या 311/1 रकबा 0.07 है0, भूमि देवीलाल पिता हजारी जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 380/317/3 रकबा 0.36 है0 भूमि छोगालाल पिता हजारी जाट सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा एवं आराजी संख्या 311/2 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 312 रकबा 0.25 है0, बाराजी संख्या 310/2 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 380/317/1 रकबा 0.34 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि सुरेशचन्द्र पिता लेहरू जाट सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा, व आराजी संख्या 308/2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 309 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 310/1 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि दीपा पिता चेना जाट सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा एवं आराजी संख्या 307 रकबा 0.74 है0, आराजी संख्या 308/1 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि अम्बालाल किशोर रामा विजयराम पिता हीरा 1/2 खेमा पिता बरदा 1/2 जाट सा.देह खातेदार एवं आराजी संख्या 380/317/2 रकबा 0.21 है0 भूमि लोभचन्द पिता हजारी 16/21 किसनलाल पिता हजारी 5/21 जाट सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(राजेश सुवालका)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (भीलवाड़ा)